(ख) क्या जिला स्तर पर ऐसे शो रूम खोले गये हैं तथा शो रूमों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार 31-5-92 की स्थिति अनुसार देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 408 शो रूम हैं [देखिये परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं०, 61]

(ख) शो रूम के स्थान निर्धारण उनकी बाजार संभाव्यता पर आधारित होता है। इस समय शो रूम की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय पसटन मल विनिर्माता निगम के कार्यालय

4121. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राष्ट्रीय पटसन म.ल विनिर्माता निगम के अन्तर्गत कार्यरत कार्यालयों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, वे किस स्तर के हैं तथा कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) इनके अन्तर्गत कौन-कौन से वितरक अथवा एजेंट कार्यरत हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इनमें कितने वितरक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन०जे०एम०सी०का पंजीकृत कार्यालय तथा उसके पांच एककों के कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं।

(ख) और (ग) एन जे एम सी के अंतर्गत कोई वितरक अथवा एजेंट काम नहीं कर रहा है। तथापि, एन० जे०एम०सी० के 5 बिक्री डिपो कमीशन के आधार पर स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं । इन डिपों के प्रभारियों की जाति/जनजाति संबंधी स्थिति की जानकारी नहीं रखी जाती।

ऊनी कपड़ों का निर्यात

4123. **डा० बापू कालदाते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, जर्मनी आदि देशों में ऊनी कपड़ों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए ऊनी कपड़ों के निर्यात हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ऊनी परिधानों की कुछ मांग है । सरकार ने ऊनी परिधानों सहित परिधानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं जिसमें शामिल हैं : परिवर्तनशील मुद्राओं के सन्दर्भ में कोटा मदों के फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, उदारीकृत विनियम दर प्रबंध प्रणाली की शुरुआत करना, लाइसेंस की आवश्यकता के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीनरी मदों के आयात को सुकर बनाना, उदारीकृत निर्यात संवर्धन (पूंजीगत वस्तुएं) योजना, बिना लाइसेंस के ही परिधान, होजरी और मेड-अप्स के विनिर्माण के लिये अपेक्षित पुरानी मशीनरी के आयात को सरल बनाना, अग्रिम लाइसेंस योजना के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी के कच्चे माल की उपलब्धता को सरल बनाना, उपयुक्त नीति-परक उपायों के जरिये विनिर्माता-निर्यातक और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना, आदि ।